17/10/2022 पत्रावली पेश हुई। मूल प्रकरण धारा 177 स्वीकार हो चुका है। जिससे मूल वाद के अभाव में T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल प्रकरण धारा 177 का.अ. के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)